

## घुमंतू की वर्तमान दशा और दिशा

प्रा.डॉ. अशोक तुकाराम जाधव  
सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग  
कै. बाबासाहेब देशमुख गोरटेकर  
महाविद्यालय, उमरी  
चलभाष: 9421839604  
Shrikrushan12@gmail.com

### सारांश:-

घुमंतू समाज के लोग "भारतीय (हिंदू) संस्कृति की रक्षक थे। आजादी के बाद से लगातार यही हो रहा है कुल आठ-नौ कमेटियों और दो राष्ट्रीय आयोगों की सिफारिशों के बाद फिर विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए कुछ उल्लेखनीय नहीं किया गया। कोई भी योजनाएं आती है, मगर खत्म कब होती है, पता नहीं होता है। उसके फायदे किन-किन लोगों को मिलते हैं वह भी पता नहीं है। इसी योजनाओं के कारण घुमंतू समाज की शिक्षा में अधिक सुधार नहीं हो पाया है। घुमंतू समाज के लिए दलित, आदिवासियों जैसे अधिकाधिक स्कूल भी नहीं है।

**बीज शब्द-** घुमंतू, समाज, विकास, दशा और दिशा।

### प्रस्तावना,

आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किंतु वर्तमान स्थिति में विमुक्त और घुमंतू समाज की आबादी 20 करोड़ के आसपास है। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार 15 करोड़ थी, वर्तमान में 20 करोड़ के आस पास ही होगी। यह सभी लोग उनके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो परेशानियों को चरम पर पहुंचा दिया है। सरकार में अपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया था। जिसके तहत घुमंतू समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। पुरखों से चले आ रहे उनके कामों पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं तो उनको पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा जाता था। भारत आजाद होने के बाद 1952 को कानून से उनको आधा ही मुक्त कर दिया था। अर्थात् उस कानून में बदलाव किया था। भारत सरकार ने उनके पारंपरिक कामों पर जैसे सांपों का खेल, बंदर नचाना, जड़ी-बूटी बेचना आदि पर रोक लगा दी थी। 2005 में आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष बालकृष्ण रहे थे। इस आयोग ने 2008 को अपने सुझाव एवं बदलाव का परामर्श देकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी इसके बावजूद घुमंतू समाज की दशा और दिशा क्या है, जानते हैं।

‘घुमंतू’ वे लोग जिनका कोई स्थाई निवास नहीं रहत है। वह किसी एक स्थान पर नहीं रहते, हमेशा ही घूमते रहते हैं। जिनके रहने अथवा ठहरने का कोई निश्चित स्थान न हो। अंग्रेजी में इसे **Mobile** कहते हैं। उसे हिंदी में ‘घुमंतू’ कहा जाता है।

### घुमंतू जनजातियाँ:-

"बलदिया, भाट, बाछोवालियाँ, देशर, लोहार, पिट्ट, काशी, कपड़ आदि। विमुक्त, कंजर, सांसी, बांछड़ा, मोघिया, नट, पारधी, बेडिया, कुचबंदिया, पासी, बैरागी आदि।"1 "बाल बैरागी, बेलदार भराडी, भूते चलवादी, चित्रकथी, घिसड़ी, गोपाल, हेलवे, जोशी, काशीकापडी, कोल्हाटी, नंदीवाले, रावल, सिकलवार, ठकार, वासुदेव, फासेपारधी।"2

### 'घुमंतू' की व्याख्या:-

- 1) "यह किसी एक जगह स्थाई रूप से निवास न करते हुए, महज जीने के लिए इस जगह से उस जगह पर जाना आना करने वाले लोगों को घुमंतू कहा जाता है।"3
- 2) "रॉयल अन्नापौलाजीकल इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटन- कोई भी निश्चित घर न होने वाले, शिकार या अन्नाज जमा करना ही इनका जीवन होता है उन्हें घुमंतू कहा जाता है।"4

अर्थात् समय के साथ- साथ सब कुछ जमाति अन्य समाज की तुलना में गांव गांव, शहर दर शहर, घूमते रहे उनको 'घुमंतू' जमात कहा गया। यह जमात दूसरे समाज के लिए काम करती है। कुछ खेतों में काम करने लगे इसमें दिनचर्या चलाने के लिए आय का समाधान ना होना परिणाम स्वरूप घुमंतू हो गए।

#### **'घुमंतू' लोगों का व्यवसाय:-**

- 1) खेतों में अन्नाज जमा करने के लिए घूमना।
- 2) भेड़ बकरियां संभालने वाली जमात।
- 3) छोटे छोटे व्यापार करना।
- 4) भिक्षा मांगना।
- 5) गांव में छोटे-छोटे काम करना।
- 6) दूसरों के आशीर्वाद पर जीवित रहने वाले लोग।
- 7) गांव के लोगों का मनोरंजन करना।
- 8) आदि।

इस प्रकार के जो अस्थाई काम, व्यापार आदि करते थे। जो निश्चित आय नहीं देता है। इसी कारण इन लोगों की आर्थिक परेशानियां कभी खत्म ही नहीं हुयी है।

#### **'घुमंतू' की वर्तमान दिशा :-**

वर्तमान में 'घुमंतू' की सामाजिक स्थिति को देखेंगे तो बहुत ही सोचनीय है। 2022 में उनकी अवस्था आतीत से कुछ अधिक ठीक नहीं है। व्यक्ति जब मर जाता है, तो उसे दफनाने के लिए उनके हक्क की शमशान भूमि भी उपलब्ध नहीं है। उन्हें जिस गांव में रुके वहीं पर उस गांव के शमशान भूमि में मरनेवाले को दफनाना पड़ता है। जैसे:-

"घुमंतू के पास शमशान भूमि नहीं होती इसलिए यह लोग जहां होते हैं, वहां की शमशान भूमि में अपने मृतकों को दफनाते हैं, लेकिन गांव वाले अक्सर उन्हें अंतिम संस्कार करने नहीं देते जिसके चलते यह लोग मृत देह को लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं।"5

सन 1960 में महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में घुमंतू समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया था। इस समय इन सभी घुमंतू समाज के लोगों की स्थायी जीवन जीने की इच्छा जागृत हो गई थी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि, हमारा भी स्थाई गाँव होना चाहिए। हक्क का निवास होना चाहिए। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सभी घुमंतू लोगों के मन में एक विश्वास निर्माण हो गया। परिणाम स्वरूप 4% आरक्षण प्राप्त हो गया था। किंतु वर्तमान में उसकी स्थितियां क्या है इस पर भी सवाल है।

"2019 के बजट में केंद्र सरकार ने एक नया आयोग और राज्यों में घुमंतू बोर्ड बनाए जाने की घोषणा की और नीति आयोग के अंतर्गत घुमंतू समुदायों के उत्थान हेतु एक पद सृजित कर उसका अध्यक्ष भीखूराम इदाते को बना दिया। किंतु आज तक ना नीति आयोग ने कुछ किया और ना इदाते ने। लॉकडाउन के दौरान मैंने इदाते को फोन किया, तो इदाते ने सरकार को जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए दावा किया, "घुमंतुओं के उत्थान का काम समाज को करना चाहिए, इसमें सरकार क्या कर सकती है? मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने आज तक नीति आयोग, केंद्र सरकार को क्या सुझाव दिए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।"6 इसलिए जब तक कोई सक्षम एवं प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के उत्थान के लिए पूरी संवेदनशीलता से जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तब तक इन सर्वाधिक वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय नहीं मिल सकेगा।

घुमंतू समाज के लोग "भारतीय (हिंदू) संस्कृति की रक्षक थी और आज भी है घुमंतू समुदाय गाड़ियां लोहारों के त्याग, बलिदान और दृढ़ प्रतिज्ञा हिंदू संस्कृति के महान रक्षकों को कौन नहीं जानता? आज उनकी स्थिति बद से बदतर है, किंतु अधिकांश प्रांतीय सरकारें उन्हें अपने प्रांत का नागरिक भी नहीं मानती है।"7 वर्तमान में सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पूरी

तरह बदल गया है। 'घुमंतू' के उत्थान के लिए पूरी संवेदना से जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तब तक इन सर्वाधिक वंचित समुदाय को सामाजिक न्याय नहीं मिल सकेगा। यह समाज जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक इन घुमंतू में परिवर्तन नहीं होगा।

### **'घुमंतू' की वर्तमान दशा :-**

#### **निवास की समस्या :-**

'घुमंतू' समाज की रहने की समस्या बड़ी ही गंभीर है। यह समाज एक जगह न रुकने के कारण इनके स्थायी घर बनाने में बड़ी मुश्किल निर्माण होती है। एक गांव से दूसरे गांव, वहां उस गांव में जहां गांव के बाहर तंबू- पाल की घरे बनाकर रहते हैं। गोबर मिट्टी के भी घर उनको नसीब में नहीं होते हैं। इंदिरा निवास योजना, राजीव गांधी निवास योजना आदि जैसे शासकीय योजनाओं में से घर मिलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि, इनके पास किसी गाँव का निवास प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं रहता है। इसलिए शासकीय योजनाओं में से कोई पक्का घर नहीं दे सकते हैं। ऐसी कई समस्याओं में से समस्या का निर्माण घुमंतू समाज के रहने की समस्या के लिए होता है।

#### **भोजन की समस्या :-**

'घुमंतू' समाज की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनके भरपेट खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि इनकी दिनचर्या चलाने के लिए निश्चित स्थायी रूप से रोजगार नहीं है। लड़कियों की चीजें बेचना, जंगल के फल फूल बेचना, आदि से यह लोग पैसा कमाते हैं, जो महल खाने के लिए भी बस्स नहीं होता है। इससे इनका कुपोषण होता है। अकाल के कारण कम उम्र में वृद्ध दिखने लगते हैं। बीमार गीरने पर अस्पताल में सही इलाज नहीं कर पाते हैं। इसी कारण कभी-कभी इन का देहावसान भी हो जाता है। रूढ़ी- परंपरा के कारण इनका सामाजिक दर्जा की अवहेलना का सामना भी करना पड़ता है। इसमें किसी सार्वजनिक जगह पर भोजन के लिए मान सम्मान नहीं मिल पाता है।

#### **शिक्षा की समस्या :-**

'घुमंतू' समाज में शिक्षा का प्रमाण बहुत ही कम है। पेट भरने के लिए उनको हमेशा ही गांव गांव भटकना पड़ता है। इस कारण इनको मूलभूत आवश्यकताएं भोजन वस्त्र एवं आश्रय इसमें ही परेशान रहना पड़ता है। इसमें शिक्षा जैसा क्षेत्र इनके ध्यान में कैसे आ जाएगा। अशिक्षा में अंधश्रद्धा, गुन्हगारी, चोरिया करना आदि क्षेत्रों में उनका ध्यान लगता है। अगर इन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया तो, निश्चित ही उनके जीवन में परिवर्तन होगा। 'घुमंतू' समाज का जीवन ऐसा बन गया है, जिसमें जीते जी भी और मरने के बाद भी सुकून नहीं है। हमारे देश में शिक्षा मुफ्त में देने का वायदा तो करते हैं, मगर शिक्षा देने वाले शिक्षक अधिक मात्रा में नियुक्त नहीं करते हैं। महज नाम मात्र शिक्षा मुफ्त है। कोई भी योजनाएं आती है, मगर खत्म कब होती है, पता नहीं होता है। उसके फायदे किन-किन लोगों को मिलते हैं वह भी पता नहीं है। इसी योजनाओं के कारण घुमंतू समाज की शिक्षा में अधिक सुधार नहीं हो पाया है। घुमंतू समाज के लिए दलित, आदिवासियों जैसे अधिकाधिक स्कूल भी नहीं है। जिससे शिक्षा प्राप्त करें "स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था "गरीबों को भरपेट खाना और शिक्षा मिलनी चाहिए। जिससे देश का विकास होगा। इस तरह से समाज की शिक्षा की स्थिति वर्तमान में सोचनीय है।

#### **घुमंतू में सामाजिक परिवर्तन के लिए यह बदलाव होने चाहिए:-**

- 1) 'घुमंतू' के लोगों की जनगणना करना।
- 2) प्रादेशिक (जाति) सूची में से निकालकर केंद्र के एक ही सूची में लाना चाहिए।
- 3) जमीन दान देनी चाहिए।
- 4) पाश्चत्य के देशों की तरह अध्ययन कर उनमें परिवर्तन करना चाहिए।
- 5) घुमंतू लोगों का निर्वासन गांव में होना चाहिए।
- 6) निश्चित स्थायी आवास प्रदान करने चाहिए।
- 7) संविधान के तहत इनका रक्षण करना चाहिए।

8 आदि।

उपरोक्त बदलाव से 'घुमंतू' समाज में परिवर्तन आ सकता है।

**संदर्भ:-**

1) [www.google.com](http://www.google.com)

2) भारतीय समाज समकालिन समस्या प्रा. दीपक धरवाडकर और प्रा. साहेबराव भालेराव रुद्राणी पब्लिकेशन हाउस भोकर महाराष्ट्र प्रकाशन वर्ष 2017 पृ. संख्या 92

3) वही. पृष्ठ सं. 91

4) वही. पृष्ठ सं. 91

5) [www.google.com](http://www.google.com) हिंदी कारवां मैगजीन डॉट इन घुमंतू समाज से सरकारी विश्वासघात के 70 साल अश्विनी शर्मा जून 22 जुलाई 2020

6) [www.google.com](http://www.google.com) हिंदी कारवां मैगजीन डॉट इन घुमंतू समाज से सरकारी विश्वासघात के 70 साल अश्विनी शर्मा जून 22 जुलाई 2020

7) [www.thewirehindi.com/](http://www.thewirehindi.com/) आजादी के इतने साल बाद भी घुमंतू जनजातीय विकास से कोसों दूर क्यों है?

**संदर्भ ग्रंथ :-**

1) भारतातील सामाजिक समस्या डॉक्टर सुधाकर दाते पिंपलापुरे प्रकाशन नागपुर एक 1970

2) भारतीय समाज व्यवस्था प्राध्यापक - मंगेश प्रकाशन कानपुर 2002

3) भारतीय समाज रचना डॉक्टर लोखंडे पी मंगेश प्रकाशन नागपुर 2001

4) भटक्या विमुक्त जाति पंचायत, चव्हाण रामनाथ, देशमुख आणि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पुणे 2002।

5) भारतीय समाज-आव्हाने आणि समस्या, रा.ज. लोटे, मनोहर पिंपलापुरे एंड कंपनी पब्लिशर, नागपुर,